

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : एफ.4(99)वित्त/राजस्व/92 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 26 MAR 2018

आदेश

समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2017 के द्वारा राज्य कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि के आहरण एवं दावों संबंधी भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी को अधिकार पत्र जारी करने के स्थान पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधिकारी के नाम से भुगतान आदेश (फ्लोट) जारी कर पे-मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाइन बिल सबमिट करते हुए संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में राशि सीधे जमा कराने की प्रक्रिया दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक पायलेट बेसिस पर लागू की गई थी।

उक्त प्रक्रिया सुचारु तौर पर क्रियान्वित हो रही है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रावधायी निधि के सभी आहरण एवं दावों का भुगतान दिनांक 31.03.2018 के पश्चात् भी समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2017 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा।

आज्ञा से,

(एस.के. सोलंकी)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)

क्रमांक : एफ.4(99)वित्त/राजस्व/92 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 108/कम्प/एसआईपीएफ पैमेंट/2018/2139 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव,